उत्तरांचल सरकार
वित्त विभाग
संख्याः 82 / 2001
देहरादूनः दिनांकः 19 सितम्बर 2001

## अधिसूचना

**चूंकि** उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक व समीचीन हो,

**तथा चूंकि** उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली–1948, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है,

**अतः अब** उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों तथा उत्तर प्रदेश सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 (यथा उत्तरांचल में लागू) तथा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम–1948 की धारा 24 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल सहर्ष, बिना पूर्व प्रकाशन के, उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली–1948 में निम्न लिखित संशोधन करते हैं।

## उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948
## (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001

**1–संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भः–**

(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली (यथा उत्तरांचल में लागू) (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश 2001 कहलायेगा।

(2)– यह आदेश गजट के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।

**2– नियम 85 (3) का संशोधनः–**

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली– 1948 (यथा उत्तरांचल में लागू) में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नियम 85 (3) में नीचे स्तम्भ–1 में उल्लिखित शब्द पद के स्थान पर, स्तम्भ –2 में दिया गया शब्द पद रख दिया जायेगा, अर्थात–

| स्तम्भ–1<br>वर्तमान उपनियम (3) | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम (3) |
|---|---|
| कोई सादा घोषणा पत्र कर | कोई सादा घोषणा पत्र कर निर्धारण |

निर्धारण अधिकारी द्वारा तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि पॉच रुपये प्रति घोषणा पत्र की दर से शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो।

अधिकारी द्वारा तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि तीन रुपये प्रति घोषणा पत्र की दर से शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
वित्त सचिव